

नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री रामदेव मनजीका एजूकेशनल एण्ड वेलफेर सोसाइटी
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम व पोर्ट परसपुर सथरा पूरे सर्वजीत, तहसील मिल्कीपुर जिला फेजावाद (उत्तर प्रदेश)।
3. संस्था का वार्षिक उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा राजस्थान के राजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को नियार्थ भाव से एक बार में 1000/- रुपया वार्षिक नकद या इतने ही मूल्य की समतित चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।
5. सदस्यता की समाप्ति : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 101/रुपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।



6. संस्था के अंग : 1 साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति।
 7. साधारण सभा गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
 - दैठकों : साधारण सभा की सामान्य दैठक साल में एक बार व विशेष दैठक भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।
 - सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य दैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष दैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।
 - गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।
 - वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।
- साधारण सभा के कर्तव्य :**
1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
 2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
 3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
 4. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।
8. प्रबन्धकारिणी समिति गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक, कोषाध्यक्ष एक, तथा पांच सदस्य सहित कुल संख्या 9 होगी।

बैठकें	: प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहुति की जा सकती है।
सूचना अवधि	: प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।
गणपूर्ति	: प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग वहुमत कोरम होगा। एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः दोबारा बुलाई गयी बैठक के लिये कोरम का प्रतिवन्ध न होगा।
रिक्त स्थानों की पूर्ति	: प्रबंधकारिणी समिति समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के वहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।
प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य	<p>1 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।</p> <p>2 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।</p> <p>3 संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।</p> <p>4 संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग तथा भूमि-भवन दान स्वरूप दान प्राप्त करना एवं भवन आदि का निर्माण करना</p> <p>प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा।</p>
कार्यकाल	
प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारायिं के अधिकार एवं कर्तव्य :	
अध्यक्ष	बैठक की अध्यक्षता करना।
	बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
	बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
	संस्था के बैठकों की सूची प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
प्रबंधक	समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना
रामदेव	बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना।
नीलम	संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्यकरना।
	क्रिया-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
	(३०) प्रभेत्रि बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
	कर्मचारियों/अध्यापकों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा मुक्त करना।
	सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
	समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
	विल एवं वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
	आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।
	समस्त संस्थाओं/एजेन्सियों/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समस्त ग्रपत्रों, लेखों-विलेखों पर हस्ताक्षर करना।
	चल एवं अचल सम्पत्ति की देखरेख व सुरक्षा करना।
	संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
	बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाना एवं उसे लिपिबद्ध करना।